न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/05/2023	31–10–2023	20–11–2024

1– सरकार जरिये प्रर्वतन अधिकारी, मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल– तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

2– तौफीक पुत्र उसमान जाति मेव निवासी ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितः–

1–विभागीय प्रतिनिधि — उपस्थित

2– अप्रार्थी — बावजुद सूचना अनुपस्थित

––:: निर्णय ::––

प्रर्वतन अधिकारी, मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा दिनाक 08.10.2014 को घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध परिवहन कर दुरूपयोग की जॉच हेतु मौके पर पुलिस थाना तिजारा पहुचा। मौके पर दयाचन्द ए.एस.आई ने तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबिक रिपोर्ट थाना परिसर में खडे पिकअप संख्या आर.जे.29जीए–2844 की जॉच की गयी। जॉचने पर 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स पाये गये। उक्त सिलेण्डर्स के बारे में मौके पर मौजुद तौफिक पुत्र उसमान जाति मेव निवासी मुसारी तहसील तिजारा से पूछताछ की गयी जिसमें उन्होने उक्त सिलेण्डर्स के बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। तौफिक पुत्र उसमान जाति मेव निवासी मुसारी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से परिवहन व भण्डारण किया जाना पाया गया, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आर.पी.पी.एल. 1990 के के प्रावधानो की स्पष्ट अवहैलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंधन होने के कारण 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स एवं वाहन पिकअप संख्या आर. जे. 29 जी. ए.– 2844 को जब्त सरकार किया गया एंव जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डस को सुरक्षा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये मै0 पारूल राव गैस एजेंसी किशनगढबास को सुरक्षा की द्वष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। तथा जब्तशुदा वाहन पिकअप संख्या आर. जे. 29 जी. ए.– 2844 को सुरक्षा की द्वष्टि से नरेन्द्र शर्मा

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

हैडकॉस्टेबल न0 669 थाना इंचार्ज पुलिस थाना तिजारा को सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि प्रकरण में जप्त शुदा 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स एवं वाहन पिकअप संख्या आर.जे.29 जी.ए.–2844 को राजसात किया जावे।

गैरसायल को न्यायालय के नोटिस क्रमांक क्रमशः 181/04.03.2016, 1287/26.10.2016, 454/08.03.2017, 489/15.03.2017, 95/02.05.2023, 230/09.06.2023 व 1196/20.05.2024 के द्वारा तलब किया गया लेकिन गैरसायल आदिनाक तक उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी बावजुद सूचना के उपस्थित नही है।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 08.10.2014 को घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध परिवहन कर दुरूपयोग की जॉच हेतु मौके पर पुलिस थाना तिजारा पहुचा। मौके पर दयाचन्द ए. एस. आई ने तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। मुताबिक तहरीर रिपोर्ट के थाना परिसर में खडे पिकअप संख्या आर. जे. 29 जीए– 2844 की जॉच की गयी। जॉचने पर 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स पाये गये। उक्त सिलेण्डर्स के बारे में मौके पर मौजुद तौफिक पुत्र उसमान जाति मेव निवासी मुसारी तहसील तिजारा से पूछताछ की गयी जिसमें उन्होने उक्त सिलेण्डर्स के बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। तौफिक पुत्र उसमान जाति मेव निवासी मुसारी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से परिवहन व भण्डारण किया जाना पाया गया, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आर.पी.पी.एल. 1990 के के प्रावधानो की स्पष्ट अवहैलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स एवं वाहन पिकअप संख्या आर.जे. 29 जी. ए.–2844 को जब्त सरकार किया गया एंव जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डस को सुरक्षा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये मै0 पारूल राव गैस एजेंसी किशनगढबास को सुरक्षा की द्वष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। तथा जब्तशुदा वाहन पिकअप संख्या आर. जे.29 जी.ए.–2844 को सुरक्षा की द्वष्टि से नरेन्द्र शर्मा हैडकॉस्टेबल न0 669 थाना इंचार्ज पुलिस थाना तिजारा को सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि प्रकरण में जप्त शुदा 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स एवं वाहन पिकअप संख्या आर. जे. 29 जी.ए.– 2844 को राजसात किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव विभागीय प्रतिनिधी की बहस का मनन किया। प्रकरण मे विभागीय प्रतिनिधी द्वारा 08.10.2014 को घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध परिवहन कर दुरूपयोग की जॉच हेतु मौके पर पुलिस थाना तिजारा पहुचा। मौके पर दयाचन्द ए.एस.आई ने तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबिक रिपोर्ट थाना परिसर में खडे पिकअप संख्या आर. जे. 29 जीए– 2844 की जॉच की गयी। जॉचने पर 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स पाये गये। गैरसायल के द्वारा उक्त सिलेण्डर्स के बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। गैरसायल द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से परिवहन व भण्डारण किया जाना पाया गया, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आर.पी.पी.एल. 1990 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहैलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंधन होने के कारण 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स को जब्त सरकार किया गया एंव जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डस को सुरक्षा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये मै0 पारूल राव गैस एजेंसी किशनगढबास को सुरक्षा की द्वष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण में नियमानुसार जॉच कर विधिवत कार्यवाही की जाकर जप्ती की कार्यवाही की गयी है। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रकरण में विधिवत जॉच कर विधिसम्मत कार्यावाही की गयी है। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सरकार जर्ये प्रर्वतन निरीक्षक, मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल– तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया राजसात किये जाते है, आदेश दिये जाते है, प्रकरण में जब्तशुदा 11 सीलशुदा भरे हुये (क्षमता 14.02 किग्रा) एवं 29 सिलेण्डर्स खाली (क्षमता 14.02 किग्रा) कुल 40 सिलेण्डर्स को मै0 मै0 पारूल राव गैस एजेंसी किशनगढबास को सुरक्षा की द्वष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। से वापिस प्राप्त कर राजसात किये जाने की कार्यवाही करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा